पत्रांक-......529...(गु॰)आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

मधेपुरा/सुपौल/पूर्णियां/सहरसा एवं अररिया।

पटना-15, दिनांक- 24/12/0

विषय: कोसी आपदा में क्षतिग्रस्त मकानों से संबंधित भुगतान।

महाशय,

कोसी आपदा के कारण मकानों की क्षति का सर्वेक्षण कार्य आपके द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन परिवारों के आवास क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको आपदा राहत कोष से देय सहायता का भुगतान प्रारंभ कर दिया जाय। इस संबंध में राशि आवंटित करते हुए निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:-

1. राशि का भुगतान पूर्व से सार्वजनिक सूचना निर्गत कर प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित कर किया जाय।
2. यह आपेक्षित है कि राशि का भुगतान आपकी उपस्थिति में हो। यदि भुगतान के समय जिले के प्रभारी मंत्री वहाँ उपलब्ध हों तो भुगतान उनके कर-कमलों से कराया जाय। अपरिहार्य स्थिति में शिविर में अपर जिला दंडाधिकारी अथवा अनुमंडल पदाधिकारी की उपस्थिति में किया जाय।
3. सर्वेक्षण के उपरान्त आपके द्वारा विभाग को दी गई सूचना के अनुसार मदवार राशि का भुगतान संबंधित परिवारों को दिनांक 15.01.2009 तक सुनिश्चित किया जाय।
4. शिविर आयोजन के लिए तिथि निर्धारित कर संबंधित व्यक्तियों को सूचना देते हुए विभाग को उसकी प्रति दी जाय।
5. भुगतान का साप्ताहिक प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से भेजा जाय।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)

प्रधान सचिव